भारतीय फिल्मों में पुलिस का गलत चित्रण

2004. **श्री रामसिंह राव्वा :**

श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय फिल्मोद्योग के निर्माताओं द्वारा फिल्मों में पुलिस के चरित्र और कर्तव्यों को निम्न स्तर का बता दिया है जिसके परिणामस्वरूप समाज में पुलिस की छवि काफी खराब हो गई है ;

(ख) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई उचित कार्रवाई कर रही है कि कुछ सीमा तक फिल्मों में पुलिस का चरित्र अत्यधिक गलत तरीके से चित्रित किया जा रहा है जिसमें पुलिस, समाज विरोधी तत्वों और अपराधियों के बीच गठबंधन दिखाया जाता है ;

(ग) क्या सरकार फिल्मों में पुलिस के गलत चरित्र चित्रण के प्रभाव से अवगत है और क्या कोई ठोस कार्रवाई की गई है और इस संबंध में सरकार द्वारा भारतीय सेंसर बोर्ड को निर्देश जारी किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) भारत में फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में होता है और इस प्रकार सरकार का इनपर कोई नियंत्रण नहीं होता। तथापि भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उसकी चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत जारी मार्गनिर्देशों के तहत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जांच की जानी अपेक्षित है। दिनांक 6-12-91 को जारी संशोधित मार्गनिर्देशों की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिये)। फिल्म का कोई भाग जो एक या अधिक मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे प्रमाणपत्र देने से पूर्व फिल्म से निकाल दिया जाता है और यदि दृश्य निकालने के बाद भी फिल्म का आपत्तिजनक प्रभाव हटाया नहीं जा सकता है तो प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता।

सरकार को समय-समय पर फिल्मों में पुलिस के चित्रण के बारे में शिकायतें मिलती रही हैं। तथापि, मार्गनिर्देश 2 (xii) तथा 2 (xviii) के अनुसार बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगा कि जातीय तिरस्कार, धार्मिक अथवा अन्य समूह अथवा किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के निकाय की मानहानि से संबंध दृश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए जाए। अतः समूह के रूप में पुलिस के तिरस्कार अथवा जिससे उनकी मानहानि होती हो, वाले दृश्य या शब्द बोर्ड द्वारा प्रमाणन से पूर्व निकाल दिए जाते हैं। तथापि कहानी की मांग के अनुसार एक या दो पुलिस आधिकारी अधम अथवा भ्रष्ट दिखाए जा सकते हैं। बोर्ड समाज की कमजोरी दिखाने वाले शब्द, जो समाज को बड़े पैमाने पर संदेश देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, को दिखाने की अनुमति देता है अन्यथा इस प्रकार के दृश्यों को काटने से स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए फिल्म निर्माता के मूल अधिकार का हनन होगा।

विगत हाल में समाज पर फीचर फिल्मों के प्रभाव के बारे में कोई

वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही में प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार भारतीय जनसंचार संस्थान को समाज पर फीचर फिल्मों के प्रभाव का व्यापक अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

हाल ही में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि फिल्मों को प्रमाणित करते समय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

विवरण

(भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-2, खंड-3 तथा उपखंड (2) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 91

अधिसूचना

सा.का.नि. 836 (ई) केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 9 (अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे :

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि :

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे ;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए ;

(ग) प्रमाणन व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो ;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करे ; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं ;

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए ;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें :

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो ;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो ; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलत: मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें लोग संवेदनशील या अमानवीय हो सकते हों ;

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो ;

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए ;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए ;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनमें नीच प्रवृत्तियों को बढावा मिलता हो ;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं ;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात् संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए ;

(11) काम-विकृतियों को दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए ;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए ;

(13) सांप्रदायिक, रूढिवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रावरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए ;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए ;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनमें देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो ;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए ;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए ;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो ;

व्याख्या : ऐसे दृश्य जिनमें नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रातिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि :

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रख कर किया गया है ; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय-वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदण्डों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों।

पाद टिप्पण: भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7-1-78 में का.आ. 9 (अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-1-78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ(सी)

(1) भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17-2-79 में का.आ. 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27-1-79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ (सी)।

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7-5-83 में का.आ. 356 (अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-5-83 की अधि-सूचना संख्या 805/2/82-एफ (सी)।

(3) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 9-9-89 में का.आ. संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11-8-89 की अधि-सूचना संख्या 803/4/89-एफ (सी)।

फा.सं. 805/1/90–एफ (सी)

ह०/-

(एस. लक्ष्मीनारायणन्)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फोन : 383857

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड,

मायापुरी, नई दिल्ली।